



राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आमर्जडेल शिमला -171002 Armsdale, Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152

secysec-hp@nic.in

SEC.(15)8/94-III 1689

दिनांक

शिमला

04 अक्टूबर, 2017

कार्यालय ओदश

सचिव, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पत्र संख्या HP-SSSB-B-(2)843/2015-31699 दिनांक 25th सितम्बर, 2017 के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग में निम्नलिखित उम्मीदवारों की कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर संविदा (अनुबन्ध) के आधार पर नियुक्ति प्रदान कर उनके नामों के आगे दर्शाए गए कार्यालयों में पदस्थ किया जाता है। संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) को प्रतिमाह रु 5910+1950= ₹ 7860/- की नियत समंकित रकम (जो वेतन +ग्रेड वेतन के न्यूनतम के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी। यदि उम्मीदवार की संविदा में एक वर्ष से अधिक बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष /वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में पद के वेतन जमा ग्रेड वेतन के न्यूनतम तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी :-

क्रम संख्या	नाम व पता	रोल न0 एवं वर्ग	नियुक्ति उपरान्त तैनाती स्थान
1	2	3	4
1	श्री दिनेश सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द शांति निवास नजदीक ऐयरटैल टावर इन्द्रनगर डाकघर ढली तहसील शिमला हिमाचल प्रदेश।	513720 सामान्य वर्ग	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू
2	श्री मति रक्षा देवी सुपुत्री श्री आत्मा राम गाँव नलग डाकघर, पाहल, तहसील, सुन्नी जिला शिमला।	515638 सामान्य वर्ग	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी शिमला
3.	श्री नागेश ठाकुर सुपुत्र श्री शिवसिंह द्वारा अर्पित काटेज डाकघर कसुम्पटी तहसील व जिला शिमला।	514879 सामान्य वर्ग	राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय
4.	श्री संजय कुमार सुपुत्र श्री संतराम गाँव डाबर डाकघर नम्होल, तहसील सदर जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश।	519397 सामान्य वर्ग	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी बिलासपुर
5.	श्री खोर सिंह सुपुत्र श्री अमीचन्द गाँव चान्नाड़ी डाकघर सपनोट तहसील करसोग जिला मण्डी।	514311 सामान्य वर्ग	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी मण्डी

6.	श्री मनीष शर्मा सुपुत्र श्री हरिनन्द गांव चेलछा डाकघर क्यारकोटी तहसील व जिला शिमला।	514639 सामान्य वर्ग	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर
7.	श्रीमति सोनिया शर्मा सुपुत्री श्री दीक्षित प्रकाश शर्मा गांव धगोह डाकघर हलोग धामी तहसील व जिला शिमला।	516291 सामान्य वर्ग	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी सोलन
8.	श्री योगेश कुमार सुपुत्र श्री हुक्म सिंह गांव व डाकघर खशधार तहसील चिढ़गांव जिला शिमला।	516788 सामान्य वर्ग (बी0पी0एल0)	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी किन्नौर
9.	श्री अजय कुमार सुपुत्र श्री रविन्द्र कुमार गांव व डाकघर सुनेहत तहसील देहरा जिला कांगड़ा।	505562 अन्य पिछड़ा वर्ग	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी ऊना
10.	श्री मोहम्मद असलम सुपुत्र श्री नूर मोहम्मद गांव व डाकघर रे तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा।	519957 अन्य पिछड़ा वर्ग	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला
11.	श्री मदन लाल सुपुत्र श्री नन्दी राम गांव व डाकघर रामपुर क्योथल तहसील व जिला शिमला।	514555 अनुसूचित जाति	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर स्थित नाहन
12.	श्री रणजीत मस्ताना सुपुत्र श्री माली राम गांव व डाकघर मन्डोल तहसील जुब्बल जिला शिमला।	515698 अनुसूचित जाति	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी चम्बा

उम्मीदवार की नियुक्ति निम्न शर्तों पर आधारित होगी :-

- उम्मीदवार को कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए अनुबन्ध आधार पर नियुक्त किया जाता है उनकी नियुक्ति को वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियुक्ति शर्तों सम्बन्धी करार हस्ताक्षरित करना होगा।
- अनुबन्ध/ संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि अनुबन्ध पर नियुक्त उम्मीदवार का कार्य /आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उनकी संविदा समाप्त की जा सकती है।
- उम्मीदवार की संविदा के आधार पर नियुक्त वांछित प्रमाण पत्रों के सत्यापन उपरान्त ही वैध मानी जाएगी।
- उम्मीदवार की नियुक्ति सरकारी/ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर वैध मानी जाएगी जिस हेतु उम्मीदवार को अपनी उपस्थित के समय वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- उम्मीदवार को किसी मैजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से जो उसे कम से कम 03 वर्षों से जानता हो द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र कार्यभार सम्भालने के समय प्रस्तुत करना होगा।
- उम्मीदवार को कार्यभार सम्भालते समय इस आशय की घोषणा का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी सरकारी / अर्धसरकारी विभाग से निष्कासित कर्मचारी नहीं है।
- उम्मीदवार को कार्य सम्भालने के समय निर्धारित प्रपत्र पर भारतीय संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा तथा कार्यालय गोपनीयता बनाए रखने के बारे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- उम्मीदवार को अपनी उपस्थिति देते समय हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान / विश्वविद्यालय से 10+2 शैक्षणिक योग्यता, दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र जिसमें उनकी जन्मतिथि अंकित हो, हिमाचल वासी तथा जिस पद के प्रति वह नियुक्त हुए हैं (अनुसूचित जाति / जनजाति / आई आर डी पी / अन्य पिछड़ा वर्ग) सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- उम्मीदवार द्वारा एक ही पत्नी से विवाह अथवा अविवाहिता होने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. उम्मीदवार की सेवा उन शर्तों व आचरण नियमों जो समय -2 पर ऐसे कर्मचारियों के लिए जो प्रदेश सरकार द्वारा समय-2 पर निर्धारित की जाएं के पालन के लिए प्रतिबन्धित होगी तथा उम्मीदवार को विभाग में उपस्थिति देने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता व कार्यग्रहण समय देय नहीं होगा ।
11. सम्बन्धित उम्मीदवार द्वारा कोई घोषणा /वचनवद्धता/सूचना/ दस्तावेज आदि जानबूझकर नियुक्ति अधिकारी के ध्यान में नहीं लाये जाते व झूठे पाये जाते हैं तो वह अपना /अपनी संविदा समाप्त करने के हकदार होगा /होगी ।

यदि सम्बन्धित उम्मीदवारों को उपरोक्त शर्तों के आधार पर अपना अनुबन्ध आधार पर नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो वह 25 अक्टूबर, 2017 तक उनके नाम के आगे दर्शाए गये तैनाती स्थान में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें । उक्त दिनांक के उपरान्त यह नियुक्ति प्रस्ताव रद्द समझा जाएगा ।

(सुनील शर्मा)

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग

हिमाचल प्रदेश शिमला-2

SEC.(15)8/94-III/698-1725 दिनांक

शिमला

04 अक्टूबर, 2017

1. सचिव हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को उनके कार्यालय पत्र संख्या HP-SSSB-B (2) 843/2015 -31699 दिनांक 25th सितम्बर ,2017 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त, (अतिरिक्त लाहौल स्पिति) हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त जिला पंचायत अधिकारी (अतिरिक्त लाहौल स्पिति) हिमाचल प्रदेश को इस आशय सहित कि उनके कार्यालय में नियुक्ति उम्मीदवारों से वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही उपस्थिति लेकर तथा निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने उपरान्त उपस्थिति सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।
4. समस्त सम्बन्धित चयनित उम्मीदवारों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(सुनील शर्मा)

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग

हिमाचल प्रदेश शिमला-2